सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2015/16 दायर दिनांक 26.02.2015

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रूकमा पत्नी भंवराराम, 2. बनवारी पुत्र भंवराराम, 3. गिरधारी पुत्र भंवराराम, 4. सीताराम पुत्र भंवराराम, उम्र 16 वर्ष, 5. दिनेश पुत्र भंवराराम, उम्र 10 वर्ष, नम्बर 04 व 05 नाबालिगान जरिये कुदरती वलिया माता रूकमा पत्नि भंवराराम, समस्त कौम बावरी, निवासीयान बेरी कलॉ, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम्	1. मांगूराम पुत्र गोरधन, जाति मेघवाल, निवासी कुकड़ौद, तहसील मकराना 2. मदनलाल पुत्र उदाराम, जाति बावरी, 3. प्रभुराम पुत्र जमनाराम, जाति बावरी, निवासी बेरी कलॉ, तहसील डीडवाना 4. श्री तहसीलदार साहब डीडवाना 5. बजरंगलाल पुत्र मोहनराम, जाति मेघवाल, निवासी बेरी खुर्द, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी,बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित—

1. श्री नरेन्द्र कुमार ओझा अधिवक्ता, वादीगण की और से।
2. श्री रणजीत बलारा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 05 की और से।

—::प्राथमिक निर्णय ::— दिनांक 15.06.2017

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 64 रकबा 24.10 बीघा वाके शरहद बेरीकलॉ है जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 का पैतृक कब्जा काश्त व संयुक्त खातेदारी का है। पूर्व में इस खसरा की खातेदारी वादीगण के पूर्वज सुरजा के नाम से अंकित थी, सुरजा के फौत होने पर इस खसरा की खातेदारी नाराणी पत्नि सुरजा, जमनाराम पुत्र सुराजाराम के नाम से संयुक्त अंकित हुई। छायाप्रति खतौनी की साथ में पेश है। खेत खसरा संख्या 64 रकबा 24.10 बीघा वाके शरहद बेरीकलॉ के खातेदार नाराणी के फोत होने पर उसके स्थान पर उसके पुत्र सहखातेदार जमनाराम के नाम से इस खेत की खातेदारी अंकित होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं करके नाराणी के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

फोत होने पर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से खातेदारी कतई गलत अंकित कर दी गई, जिसकी जानकारी उस वक्त नहीं हुई, प्रतिवादी संख्या 01 का इस खसरा की भूमि में कभी कोई हक अधिकार नहीं रहा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 के पैतृक कब्जा काश्त व संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 64 रकबा 24.10 बीघा वाके बेरी कलॉ में से प्रतिवादी संख्या 02 मदनलाल को क्रमशः 01 बीघा व 03 बीघा कुल 04 बीघा भूमि दे देने से उसका नाम खातेदारी में अंकित हुआ है। शेष 20.10 बीघा भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 के संयुक्त कब्जा काश्त व खातेदारी की है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 एक ही पूर्वज के जायज वारीस व उतराधिकारी है तथा वादीगण संख्या 04 व 05 नाबालिगान् है जो अपनी माता वादीनी संख्या 01 के सरंक्षण में रहते है जिनका हित एक दुसरे के विपरीत नहीं है। खसरा संख्या 64 रकबा 24.10 बीघा पैतृक भूमि है, तथा उक्त पैतृक व कब्जा काश्त व संयुक्त खातेदारी के खेत का विधिवत् बंटवारा बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स के आज तक नहीं हुआ है। हम वादीगण मौके पर काश्त करते आये है। वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 64 रकबा 24.10 बीघा वाके शरहद बेरी कलॉ का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 के बीच विधिवत् बन्टवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के किया जाकर इस खसरा की 20.10 बीघा भूमि में से 10.05 बीघा भूमि वादीगण को बंट में दिलवाई जावे व 10.05 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 03 को बन्ट में दी जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। प्रार्थी बजरंगलाल ने पक्षकार बनने का एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि में उक्त भूमि में खातेदार हूॅ तथा मैने उक्त खसरा संख्या 64 रकबा 64.10 बीघा भूमि में से 12 बीघा भूमि पश्चिमी दिशा की जरिये ररिजस्टर्ड बेचाण के दिनॉक 29.10.2014 को मांगुराम पुत्र गोदुराम, मेघवाल से खरीद ली है, जिसके चारो और बाड़ व तारबन्दी कर ली है, तथा उक्त 12 बीघा भूमि मेरी खरीद सुदा व कब्जा सुद है जिस पर में काश्त करता आया हूॅ उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया, तथा उसका नाम प्रतिवादी संख्या 05 पर जोड़ा गया। प्रतिवादी संख्या 05 बजरगंलाल ने अपना जबाब दावा पेश किया।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी की नकल, भंवरलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, ट्रैस नक्शा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 05 ने दिनॉक 11.11.2014 की खतौनी की नकल, दिनॉक 29.10.2014 के रजिस्टर्ड बेचाण की नकल, दिनॉक 14.09.1993 की रजिस्टर्ड बेचाण की नकल पेश किये।

विद्वान अधिवक्तागण की गई सारगर्भित बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर वाके सरहद बेरी कलॉ में स्थित खेत खसरा संख्या 64 रकबा 24.10 बीघा, का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" से वेभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है, तहसीलदार, डीडवाना वेभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो–दो प्रतियों में पेश करें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **15.06.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक –16–2015/रीडर/2016/ दिनॉक

प्रेषिति :–

तहसीलदार

डीडवाना।

विषय :– प्राथमिक निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा बाबत्

बंन्टवारा, घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा –53, 88, 188 R.T.Act.

वादीगण वगैरह		प्रतिवादीगण
1. रूकमा पत्नी भंवराराम, जाति बावरी, निवासी बेरी कलॉ, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. मांगूराम पुत्र गोरधन, जाति मेघवाल, निवासी कुकड़ौद, तहसील मकराना, जिला नागौर, राजस्थान वगैरह

उपरौक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित प्राथमिक निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट 02 प्रतियों में आगामी सुनवाई तिथि दिनॉक 14.07.2017 तक भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हों।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner